अध्याय- V : मानव संसाधनों की उपलब्धता

5.1 परिचय

मिशन का उद्देश्य चिकित्सकों, विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम एवं आशा की उपलब्धता में वृद्धि के साथ निर्बाध एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है। राज्य सरकारों को नई संविदागत नियुक्तियों द्वारा उपलब्ध रिक्तियों को भरना था जिसके लिए भारत सरकार निधियां आबंटित करती है। विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर आईपीएचएस/संस्वीकृत कार्मिक संख्या के अनुरूप स्टाफ की आवश्यकता की तुलना में स्टाफ की वास्तविक स्थिति का लेखापरीक्षा विश्लेषण नीचे दी गई **तालिका 5.1** में दिया गया है:-

तालिका-5.1: 31 मार्च 2016 को ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्यकर्मी

क्र. सं.	सुविधा	स्टाफ	लेखापरीक्षित स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	शामिल किए गए राज्यों की संख्या[1]	आईपीएचएस मानकों के अनुसार स्टाफ की अनिवार्य संख्या	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कर्मचारी	आईपीएचएस एवं इसकी प्रतिशतता में कमी (-) आधिक्य (+)	संस्वीकृत कार्मिक संख्या एवं इसकी प्रतिशतता में कमी (-) आधिक्य (+)
1	जिला अस्पताल (डीएच)	चिकित्सक/विशेषज्ञ	111	23	3,445	3,503	2,298	-1,147(33)	-1,205(34)
		स्टॉफ नर्स	111	23	5,878	5,379	4,405	-1,473(25)	-974(18)
		पैराचिकित्सा स्टॉफ	111	23	3,653	2,315	1,679	-1,974(54)	-636(27)
2	उप-जिला/ उपमंडल अस्पताल (एसडीएच)	चिकित्सक/विशेषज्ञ	43	10	810	580	369	-441(54)	-211(36)
		स्टाफ नर्स	43	10	734	869	587	-147(20)	-282(32)
		पैराचिकित्सा स्टाफ	43	10	1,132	716	437	-695(61)	-279(39)
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)	चिकित्सक	238	25	1,234	817	305	-929(75)	-512(63)
		स्टाफ नर्स	236	24	2,360	1,540	1,307	-1,053(45)	-233(15)
		पैराचिकित्सा स्टाफ	236	24	1,413	1,143	861	-552(39)	-282(25)
4	प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सक	295	15	295	369	235	-60(20)	-134(36)
		स्टाफ नर्स	421	22	1,281	665	466	-815(64)	-199(30)

[1] शेष राज्यों के संबंध में सूचना या तो प्राप्त नहीं हुए थे या अपूर्ण थे।

	केन्द्र	पैराचिकित्सा स्टाफ	458	25	2,290	2,059	1,506	-784(34)	-553(27)
5	उप-केन्द्र (एससी)	सहायक नर्स एवं मिड़वाइफ (एएनएम) स्वास्थ्यकर्मी (महिला)	560	10	608	575	519	-89(15)	-56 (10)
		स्वास्थ्यकर्मी (पुरूष)	1,376	26	1,376	1,032	453	-923(67)	-579(56)

[स्रोत:- चयनित जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

हालांकि समस्त सुविधाओं में चिकित्सकों तथा सहायक कर्मचारियों की कमी थी, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर नीचे चर्चा की जा रही है:-

5.2 जिला अस्पताल

23 राज्यों में लेखापरीक्षित 111 डीएच में स्टाफ की कमी नीचे **चार्ट- 5.1** में प्रदर्शित की गई हैं:-

चार्ट - 5.1: स्टाफ की कमी

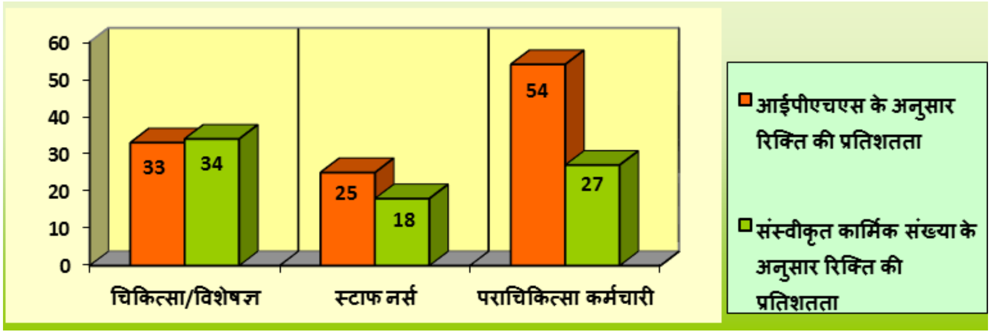

(राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध **5.1.1 से 5.1.3** में दिए गए हैं).

मिजोरम में मार्च-2016 को आईपीएचएस के प्रति चयनित दो डीएच के चिकित्सकों/विशेषज्ञो तथा नर्सों/पैरामैडिकल स्टाफ की क्रमश 75 से 80 प्रतिशत तक की कमी थी। इसी प्रकार से **पश्चिम बंगाल** में, दो चयनित मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों[2] में चिकित्सकों की 56 प्रतिशत कमी थी।

5.3 उप-जिला/उप-मंडलीय अस्पताल

10 राज्यों में लेखापरीक्षित 43 एसडीएच में स्टाफ की कमी नीचे **चार्ट-5.2** में दर्शाई गई है:-

[2] जिला अस्पताल के समान

चार्ट - 5.2: स्टाफ की कमी

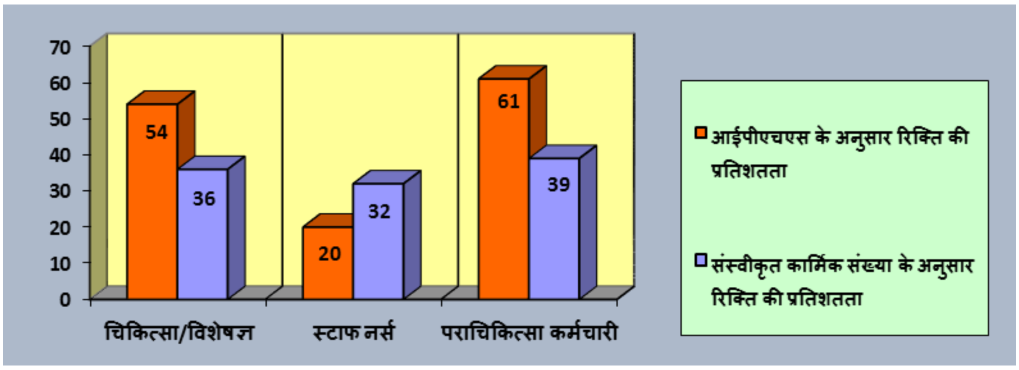

बिहार, कर्नाटक तथा **महाराष्ट्र** में स्थिति अत्यंत खराब थी। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.2** में दिए गए हैं।

5.4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी):-

27 राज्यों के चयनित सीएचसी में, पांच प्रकार के विशेषज्ञों (जनरल सर्जन, जनरल फिजीशियन, प्रसूति/स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक) की औसत कमी 77 से 87 प्रतिशत के बीच थी। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.3** में दिए गए हैं।

ओड़िशा में एक सीएचसी तथा **त्रिपुरा** में दो सीएचसी बिना किसी डॉक्टर (एलोपैथिक/आयुष) के कार्य कर रहे थे।

पैरामैडीकल स्टॉफ जिनमें लैबोरेट्री तकनीशीयन, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्यकर्मी (महिला) इत्यादि शामिल है, के बिना कार्य कर रहे सीएचसी की स्थिति नीचे **तालिका-5.2** में दी गई है:-

तालिका - 5.2: पैराचिकित्सा स्टाफ के बगैर कार्य कर रहे सीएचसी

क्र.सं.	पद (पैराचिकित्सा स्टाफ) का नाम	राज्यों की संख्या	सीएचसी में पैराचिकित्सा स्टाफ की स्थिति	
			लेखापरीक्षित सीएचसी की संख्या	बिना पैराचिकित्सा स्टाफ के एच.सी.एस की संख्या तथा कुल लेखापरीक्षीत सीएचसी का प्रतिशत
1.	फार्मासिस्ट	12	151	30 (20)
2.	प्रयोगशाला तकनीशियन	11	144	28 (19)
3.	सांख्यिकी सहायक/आकंड़ा	17	191	70 (37)

	प्रविष्टि प्रचालक			
4.	स्वास्थ्य कर्मी (महिला)	12	151	78 (52)
5.	स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष)	17	190	116 (61)
6.	स्वास्थ्य सहायक (महिला)/ महिला स्वास्थ्य परिदर्शक (आगंतुक)	19	199	91 (46)

नमूना जांच की गई सीएचसी पर पैराचिकित्सा स्टाफ के बिना कार्यरत सीएचसी के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.4** में दिए गए हैं।

आठ राज्यों में (**झारखंड़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़िशा, सिक्किम, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश** तथा **उतराखंड**) स्टाफ नर्सों की कमी की प्रतिशतता 50 से अधिक थी। राज्य-वार-ब्यौरे **अनुबंध-5.5** में दिए गए हैं।

5.5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी)

> 10 राज्यों में (**आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना** एवं **त्रिपुरा**) चयनित पीएचसी में चिकित्सकों की तैनाती आईपीएचएस के अनुसार आवश्यकताओं से अधिक संख्या में की गई है।

आईपीएचएस के अनुसार प्रत्येक पीएचसी में एक चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की जानी चाहिए जिसके साथ 13 पैरामैडीकल एवं अन्य कर्मचारी भी हों। 13 राज्यों (**आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छतीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश** तथा **उत्तराखंड़**) में 305 पीएचसी की लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि मार्च 2016 तक 67 पीएचसी में किसी भी चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई थी (**अनुबंध-5.6**)। उत्तरप्रदेश में तो स्थिति और भी बुरी थी जहां पर चयनित पीएचसी में से लगभग 50 प्रतिशत पीएचसी बिना किसी चिकित्सक के ही चल रहे थे।

22 राज्यों में, 421 पीएचसी में नर्स-मिड़वाइफ (स्टाफ-नर्स) की कमी, आईपीएचएस एवं मार्च-2016 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या से क्रमश: 64 एवं 30 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त 22 राज्यों में लेखापरीक्षित 421 पीएचसी में से नौ राज्यों (**छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश** एवं **उत्तराखंड**) में 121 पीएचसी बिना किसी स्टाफ नर्स के कार्य कर रहे थे। (ब्यौरे **अनुबंध-5.7** में दिए गए

हैं)। 24 राज्यों के 448 पीएचसी बिना किसी प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट, लेखाकार सह आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, स्वास्थ्य कर्मी (महिला), स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष), स्वास्थ्य सहायक (महिला)/महिला स्वास्थ्य आगंतुक के चल रहे पीएचसी की प्रतिशतता 24 से 75 के बीच थी। ब्यौरे **अनुबंध-5.8** में दिए गए हैं।

5.6 उप-केन्द्र (एससी)

आईपीएचसएस के अनुसार, प्रत्येक एससी में एक सहायक नर्स एवं मिड़वाईफ (एएनएम)/स्वास्थ्यकर्मी (महिला) तथा एक स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष) होने चाहिए। 13 राज्यों में 80 एससी (10 प्रतिशत) पर एएनएम/स्वास्थ्यकर्मी (महिला) की तैनाती नहीं की गई थी। इसी प्रकार, 22 राज्यों में 749 एससी पर (65 प्रतिशत) स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष) की तैनाती नहीं की गई थी। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.9** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि यह कमी राज्य-सरकार द्वारा कार्मिकों की समग्र अपर्याप्त उपलब्धता तथा यहां तक की चिकित्सकों एवं विशेषज्ञो की तर्कहीन तैनाती के कारण है।

5.7 आशा की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण

मिशन के अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम में 1,000 (या कम, अलग निवास स्थान के लिए) की आबादी पर कम से एक के अनुपात में एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) नामक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना होता है। राज्यों को आशा के लिए निर्धारित जनसंख्या मानकों में छूट की स्वतंत्रता दी गई थी जो उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो। प्रत्येक आशा को कौशल-विकास हेतु समावेशन एवं अन्य मॉड्यूल में प्रशिक्षण कराने थे।

वर्ष 2011-16 के दौरान 19 राज्यों में 88 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में चयन एवं प्रशिक्षण में कमियां उजागर हुई, जैसा कि नीचे **चार्ट-5.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-5.3: आशा की नियुक्ति, प्रवेश पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण के अन्य मॉड्यूल में कमी

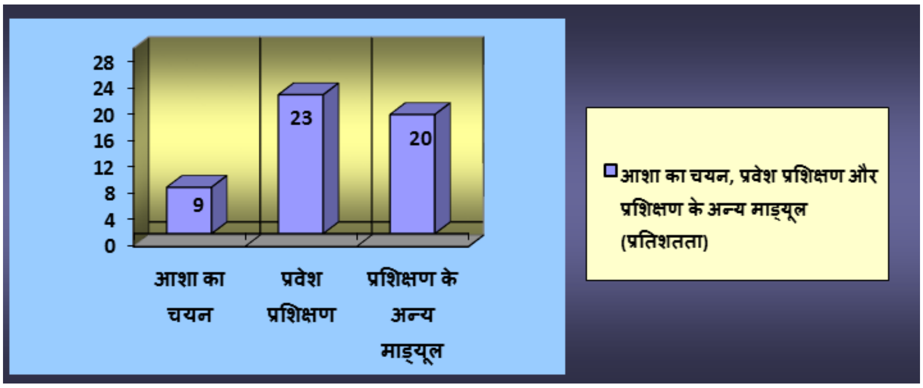

राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.10** में दिए गए हैं।

5.8 अन्य पेशेवर स्वास्थ्यकर्मी को प्रशिक्षण:-

5.8.1 एएनएम, नर्सों एवं चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण

वर्ष 2011-16 के दौरान चयनित जिलों में, एएनएम, स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण की स्थिति नीचे **तालिका-5.3** में दी गई है:

तालिका-5.3: एएनएम, नर्सों एवं चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण में कमी

क्र. सं.	पद का नाम	शामिल राज्यों की संख्या	लेखापरीक्षित जिलों की संख्या	लक्ष्य	वास्तविक प्रशिक्षित सं.	कमी	*प्रतिशत*
1	एएनएम	11	57	50,329	35,642	14,687	29
2	स्टाफ नर्स	10	56	22,638	14,388	8,250	36
3	चिकित्सा अधिकारी	13	73	16,602	11,902	4,700	28

राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-5.11** में दिए गए हैं तथा राज्य-वार निष्कर्ष **अनुबंध-5.12** में दिए जा रहे हैं।

5.8.2 एएनएम को स्किलड़ बर्थ अटैन्डैन्ट ट्रेनिंग (एसबीए)

एससी में तैनात एएनएम को घरों/एससी में प्रसव कराना होता है अत: उसे इस संबंध में अनिवार्य विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए। 29 राज्यों में 1443 लेखापरीक्षित एससी में से 789 में एएनएम ने एसबीए प्रशिक्षण नहीं लिया।

निष्कर्ष

देशभर में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों नामत: डीएच, एसडीएच, सीएचसी, पीएचसी एवं एससी में चिकित्सकों, स्वास्थ्य देखभाल सहायक स्टाफ तकनीशियन इत्यादि की उपलब्धता में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई। 77 से 87 प्रतिशत सीएचसी बिना किसी विशेषज्ञ चिकित्सक जैसे कि प्रसूति/स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के चल रहे थे। इस प्रकार से तमाम स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों, विशेषज्ञों, पैरामैडीकल स्टाफ की उपलब्धता में वृद्धि करके बाधारहित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका तथा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। आशा, एएनएम, चिकित्सकों एवं स्टाफ-नर्स के प्रशिक्षण में भी कमियां पाई गई।

अनुशंसाएं :-

- मंत्रालय को राज्यों के साथ निष्ठापूर्वक आगे की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एनआरएचएम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के संस्वीकृत पदों को भरा जाना सुनिश्चित किया जा सके। मिशन फलेक्सिबल पूल के अंतर्गत आगे के अनुदान जारी किया जाना इसी आधार पर उपलब्धियों/प्रगति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सभी आशाओं, एएनएम इत्यादि को मानदंडो के अनुसार संपूर्ण प्रशिक्षण कराए ताकि उनकी सेवाएं और अधिक प्रभावशाली बन सकें।